कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य / संस्था / बी–2 / 45002 / प्रधाना–स्था / 2018 दिनांक 24.5.2018 द्वारा श्री ओमप्रकाश प्रधानाचार्य–चौधरी भु. राउमावि रतकुडिया जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि–एकलखोरी, ओसिया जोधपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री ओमप्रकाश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस बी सिविल याचिका संख्या 9340 / 2018 ओमप्रकाश बनाम राजस्थान सरकार दायर की गई।

याचिका संख्या 9340 / 2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2018 द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 24.05.2018 का प्रभाव एवं कियान्वयन याचिकार्थी श्री ओमप्रकाश के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेशों तक स्थगित रखा गया है।

श्री ओमप्रकाश द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लेने पर राउमावि–रतकुडिया, जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उक्त दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करते हुए राउमावि–रतकुडिया जोधपुर में कार्यरत प्रधानाचार्य श्री ओमप्रकाश डूडी को माननीय न्यायालय के आगामी / अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि–भुण्डाना, पीपाड शहर, जोधपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर समायोजित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे तत्काल कार्यमुक्त होकर कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें। **श्री ओमप्रकाश माननीय उच्च न्यायालय के आगामी / अन्तिम निर्णय के अध्याधीन राउमावि–रतकुडिया, जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगे।**

(नथमल डिडेल)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा. / संस्था / बी–2 / याचिका एस. बी. / 9340 / 2018 दिनांक 17.07.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा ,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जोधपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जोधपुर / जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिकों को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)